सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 46/15 निर्णय दिनांकः 17.05.2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. बीरबल पुत्र रामूराम जाति नायक निवासी रामनगर हाल चक 1 आरएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मनसुब अली पुत्र फतु खॉ जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
3. रूस्तम अली पुत्र फतु खॉ जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16—04—2015
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक/अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3

—निर्णय—

1. अपीलांट/स्टेट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 16—04—2015 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दावा तथ्यों/कानून व दस्तावोजों के विपरीत जाकर स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही राणेर उर्फ रामनगर के खसरा नम्बर 163 में 57 बीघा एवं खसरा नम्बर 229 में 31 बीघा इस प्रकार कुल 88 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर एमएफएफआर विस्थापित के रूप में आवंटित होना बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया तथा उक्त भूमि चक प्लान के अनुसार चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 112/01 के किला नम्क्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/09 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्क्बर 92/57 के किला नम्बर 14 में 0.10 बीघा, 15 व 16 में 2 बीघा, 17 में 0.10 बीघा, 18 में 0.10 बीघा एवं 23 ता 25 में 6.10 बीघा कुल 56 बीघा 10 बिस्वा फिट होना बताकर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये व बिना चकप्लान व मिलान क्षेत्रफल के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथनों पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर स्टेट/अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही राणेर उर्फ रामनगर के खसरा नम्बर 163 में 57 बीघा एवं खसरा नम्बर 229 में 31 बीघा इस प्रकार कुल 88 बीघा भूमि बतौर एमएफएफआर विस्थापित के रूप में आवंटित बताते हुए तथा उक्त भूमि चकबन्दी होने पर चक प्लान के अनुसार चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 112/01 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/09 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्क्बर 92/57 के किला नम्बर 14 में 0.10 बीघा, 15 व 16 में 2 बीघा, 17 में 0.10 बीघा, 18 में 0.10 बीघा एवं 23 ता 25 में 6.10 बीघा कुल 56 बीघा 10 बिस्वा फिट होना बताकर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 92/57 एवं 112/1 मुताबिक चक प्लान ग्राम लाखनसर के रकबे से बने है ना कि रामनगर के रकबे से

बने है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य व आधार के उक्त दोनों खसरों को मौजा रोही रामनगर से बनना मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय ग्राम रामगनर के खसरा नम्बर 163 की 57 बीघा भूमि को राजस्व ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 1 की 56 बीघा 10 बिस्वा में फिटिंग दुरूस्ती करते हुए डिक्री जारी की गई है। जिसका कोई दस्तावेजी यथा मिलान क्षेत्रफल व चकप्लान आदि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। इसी क्रम में राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि मुरब्बा नम्बर 92/57 व मुरब्बा नम्बर 112/1 की भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि है। ऐसी स्थिति में जब तक राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि गजट से बाहर नहीं कर दी जाती तब तक उक्त भूमि के संबंध में दावा निर्णित नहीं किया जा सकता था।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने आगे कथन किया कि आदेश जैर अपील में मात्र औपचारिक तरीके तनकीयात् तो कायम की गई परन्तु किसी भी तनकीयात् का विवेचन अपने निर्णय में विधि सम्मत तरीके से नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया कि वादगत् भूमि 56.10 बीघा ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 163 से बने है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर था। इसी प्रकार तनकी संख्या 3 कायम की गई कि वादगत् भूमि 56.10 बीघा भूमि ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 1 से बनी है जिसका रामनगर के खसरा नम्बर 163 से कोई संबंध नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी/स्टेट पर था। दोनों तनकीयात् एक–दूसरे पर निर्भर थी। जोकि मात्र दस्तावेजी साक्ष्य यथा चकप्लान/चक फिटिंग एवं मिलान क्षेत्रफल से ही साबित होनी थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक व अधिकार पैदा होता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने व नये खसरा नम्बरान् की चक फीटिंग का विश्लेषण किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

जिसका कतई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था। अतः अपीलांट/स्टेट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी को बतौर एमएफएफआर विस्थापित राणेर उर्फ रामनगर की रोही के खसरा नम्बर 163 में 57 बीघा तथा खसरा नम्बर 229 में 31 बीघा इस प्रकार कुल 88 बीघा भूमि का विधिवत आवंटन किया गया। जिस पर आवंटन से लेकर आज दिनांक तक वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 163 की 57 बीघा भूमि चकप्लान में आने पर चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 112/01 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/09 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्क्बर 92/57 के किला नम्बर 14 में 0.10 बीघा, 15 व 16 में 2 बीघा, 17 में 0.10 बीघा, 18 में 0.10 बीघा एवं 23 ता 25 में 6.10 बीघा कुल 56 बीघा 10 बिस्वा फिट हुई। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि पर ही आवंटन पश्चात् से कायम है। उक्त खसरा नम्बर 163 का चकप्लान बनाते समय सहवन से रामनगर व लाखनसर रोही दोनों में तरमीम कर दिया गया। इसलिए वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा फिटिंग दुरूस्ती करते हुए चक वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारो की धोषणा करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त वादपत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई तथा साक्ष्य के तौर पर अन्य चिपते काश्तकारों के बयान व शपथ पत्र पेश किये गये तथा सूची नम्बर 4 पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे के समर्थन में प्रस्तुत सूची नम्बर 4 एवं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार यह पाया गया कि ग्राम राणेर उर्फ रामनगर की रोही के खसरा नम्बर 163 में 57 बीघा भूमि चक प्लान से चक 1 आरएम के मुरब्बा नम्बर 112/01 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/09 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्क्बर 92/57 के किला नम्बर 14 में 0.10 बीघा, 15 व 16 में 2 बीघा, 17 में 0.10 बीघा, 18 में 0.10 बीघा एवं 23 ता 25 में 6.10 बीघा कुल 56 बीघा 10 बिस्वा फिट हुई तथा जिस पर वादी का कब्जा काश्त

दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने व वादगत् 56 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 1 से बने है जिसका रामनगर के खसरा नम्बर 163 से कोई संबंध नहीं है।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई तथा उक्त तनकीयात् को कायम करने का भार क्रमशः वादी/प्रतिवादी पर था। जिसको वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों के आधार पर साबित किये जाने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है, जो सही है। अतः स्टेट/अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र पर कथन किया गया कि स्टेट/अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—04—2015 के विरूद्व अपील दिनांक 25—07—2016 को पेश की गई है। जोकि स्पष्ट बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट/स्टेट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं अतः अपीलांट/स्टेट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1999 पेज 389, आरबीजे 2001 पेज 258, आरबीजे 2000 पेज 157 व आरबीजे 2001 पेज 432 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/स्टेट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—04—2015 के विरूद्व अपील दिनांक 25—07—2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात् सरकारी प्रक्रिया के तहत प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा विधिक राय लेने में हुई देरी स्वभाविक है। अतः विलम्ब का शमन किया जाकर अपील मियांद शुमार धोषित की जाती है।

हस्तगत् मामलें में रेस्पोडेन्ट/वादी को फायरिंग रेंज में विस्थापित की श्रेणी में ग्राम राणेर के खसरा नम्बर 163 की 57 बीघा भूमि का आवंटन होना पत्रावली में शामिल जमाबंदियों से साबित है तथा प्रतिवादी/अपीलांट ने इस तथ्य को स्वीकार किया है परन्तु चकबन्दी के बाद बने चक 1 आरएम का मुरब्बा नम्बर 112/1 तथा मुरब्बा नम्बर 112/9 तथा मुरब्बा नम्बर 92/57 मूल ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 1 से बनने का उल्लेख किया है। वादी अपने साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया कि ग्राम रामनगर में उसे आवंटित भूमि से ही विवादित खसरे बने है। परीक्षण न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेन्ट के कथन एवं शपथ पत्र को आधार मानकार वादी स्वीकार कर लिया।

प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा पुराने से नया खसरों तथा चकों की फीटिंग के बारें में कायम तनकीयात् कायम की गई जिसके अनुसार तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया कि वादगत् भूमि 56.10 बीघा ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 163 से बने है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर था व तनकी संख्या 3 कायम की गई कि वादगत् भूमि 56.10 बीघा भूमि ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 1 से बनी है जिसका रामनगर के खसरा नम्बर 163 से कोई संबंध नहीं है। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पर था। इस संबंध में परीक्षण न्यायालय द्वारा पुराने से नये खसरों तथा चकों की फीटिंग के बारे में कायम तनकीयात् का विश्लेषण किये बिना तथा तनकीयात् को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किये बिना ही निर्णय किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

इसी क्रम में तनकी संख्या 2 व 3 की ग्राम लाखनसर के पुराने खसरों तथा चकबन्दी के बाद बने मुरब्बों की फीटिंग के बाद वादी के अधिकारों के सृजन के संबंध में थी, जिस पर परीक्षण न्यायालय ने विवेचन किये बिना वादी के वाद को प्रमाणित माननें में भूल की है। परीक्षण न्यायालय ने वादी के कब्जे को आधार मानकार मात्र संभावनाओं के आधार पर मूल गांव राणेर या रामनगर के स्थान पर लाखनसर से बने चक 1 आरएम के मुरब्बों की भूमि पर वादी को खातेदार धोषित करने में कानूनी तथा तथ्यात्मक भूल की है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट/स्टेट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16—04—2015 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर